

प्रदर्श 'ब'

ग्राम सभा - सोरिद (चोरमर्छी) की बैठक दिनांक 11/01/2016

कार्यवाही का विवरण

ग्राम सोरिद स्थान सोरिद (चोरमर्छी)

आज दिनांक 11/01/2016 का ग्राम पंचायत सोरिद के सरपंच श्री/श्रीमति अनुशुषिता शर्मा की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य 60 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों में चर्चा की गई - ग्राम चोरमर्छी में आवेदक स.श.वि.पारे.के.भर्या (गैर वानिकि कार्य) के लिए वन भूमि में व्यपवर्तन हेतु 2.37 हे० कक्ष क० 67 वन भूमि हे० राजस्व वन भूमि कुल है वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गई।

प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गई।

इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गई जो वन भूमि 132 के.व्ही. विद्युत पारेषण लाईन कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी गैर-परम्परागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं। एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परम्परागत वनवासी को हक प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परम्परागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है :-

| क्र. | ग्राम का नाम | वन अधिकारी मान्यता पत्र धारक का नाम | रकबा (हे०में) |
|------|--------------|-------------------------------------|---------------|
| 1.   | निरंक        | निरंक                               | निरंक         |

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि 2.37 हे० कक्ष क० 67 वन भूमि हे० राजस्व वन भूमि कुल योग हे० वन भूमि को गैर वानिकी प्रायोजन हेतु मेसर्स स.श.वि.पारे.के.भर्या को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

अनुशुषिता शर्मा  
11/01/2016  
वन समिति अध्यक्ष  
चोरमर्छी

राजेश  
राजेश  
ग्राम पंचायत - सोरिद  
वि.खं. व.जि.महासमुन्द

सचिव/परिसर रक्षी  
वन प्रबंधन समिति  
चोरमर्छी

हस्ताक्षर  
हस्ताक्षर  
ग्राम - सोरिद  
वि.खं./जिला महासमुन्द

11/01/2016  
अनुविभागीय दण्डाधिकारी  
महासमुन्द (छत्तीसगढ़)